

परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ

पत्रांक : 90 सीएसी / 23-294सीएसी / 90

दिनांक : 06 फरवरी, 2023

- 1- समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक / सेवा प्रबन्धक,
- 2- समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (डिपो / वित्त)
- 3- समस्त सम्परीक्षा अधिकारी,
- 4- समस्त सहायक लेखाधिकारी,
उत्तर प्रदेश परिवहन निगम।

विषय : परिवहन निगम की यात्री बसों के किराये में वृद्धि के सम्बन्ध में।

अध्यक्ष राज्य परिवहन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश के पत्र सं० 152 एसटीए/2023-06एसटीए/13 दिनांक 06.02.2023 के क्रम में तत्काल प्रभाव से किराया दरें निम्नवत् निर्धारित की जाती है:-

सेवा	किराया दरे (पैसे प्रति यात्री प्रति किमी०)
सधारण सेवा	130.00
जनरथ 3X2	163.86
जनरथ 2X2	193.76
वातानुकूलित स्लीपर	258.78
हाई एण्ड वाल्वो / स्कैचिया	286.14

किराये की धनराशि 100 पैसे के निकटतम गुणांक में पूर्णांकित की जायेगी।

(अन्नपूर्णा गर्ग)
अपर प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक-समसंख्या / समदिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक / निजी सचिव, अपर प्रबन्ध निदेशक / निजी सचिव, मुख्य प्रधान प्रबन्धक (प्रशा०), परिवहन निगम मुख्यालय।
2. मुख्य प्रधान प्रबन्धक (प्रावि००), परिवहन निगम मुख्यालय।
3. प्रधान प्रबन्धक (एम.आई.एस. / आई.टी.), परिवहन निगम मुख्यालय को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने एवं ई.टी.एम. पर अपलोड करने हेतु।
4. समस्त प्रधान प्रबन्धक / सहायक प्रबन्धक, परिवहन निगम मुख्यालय।
5. सम्परीक्षा अधिकारी, परिवहन निगम मुख्यालय।

(अन्नपूर्णा गर्ग)
अपर प्रबन्ध निदेशक